निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 आश्विन 1934 (श0)

(सं0 पटना 505)   पटना, मंगलवार, 25 सितम्बर 2012

योजना एवं विकास विभाग

(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

———

अधिसूचना

21 सितम्बर 2012

सं0 1866—जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार सरकार, केन्द्र सरकार के अनुमोदन से, बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1999 का संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाती है :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभः–** (1) यह नियमावली बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली, 2011 कही जा सकेगी।

   (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **नियम 9 के उप–नियम (2) में संशोधन** :– उक्त नियमावली, 1999 के नियम 9 के उप–नियम (2) में शब्द ''विहित अधिकारी'' शब्द ''प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

3. **नियम 9 के उप–नियम (3) में संशोधन** :– उक्त नियमावली, 1999 के नियम 9 के उप–नियम (3) में शब्द ''प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट अथवा प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट'' शब्द ''प्रखंड विकास पदाधिकारी'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे तथा निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगाः–

   ''परन्तु मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु पंजीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु, समय–समय पर विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, विलम्ब फीस घटा सकेंगे।''

4. **नियम 17 के उप–नियम 30 (2) (ट) में संशोधन** :– उक्त नियमावली, 1999 के नियम 17 के उप–नियम (1) में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जायेगा :–

''जन्म रजिस्टर, मृत्यु रजिस्टर, मृत–जन्म रजिस्टर स्थायी महत्त्व के अभिलेख होंगे और वे नष्ट नहीं किए जायेंगे। ये रजिस्टर कम्प्यूटरीकृत किए जा सकेंगे।''

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विजय प्रकाश,
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 505-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in